ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा, जिला कांगड़ा का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 05.09.05 से 31.03.14

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों का परिवहन विभाग से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई– गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण इस विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री राज कुमार व आर्टिकल सहायक श्री सुशील कुमार द्वारा दिनांक 29.10.14 से 24.11.14 के दौरान देहरा में किया गया। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

आयः– 3/06, 11/06, 11/07, 10/08, 10/09, 9/10, 11/11, 1/13 व 1/14
व्ययः– 1/06, 3/07, 6/07, 7/08, 3/10, 9/10, 2/12, 12/12 व 9/13

(ख) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा में अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के प्रशासक/आहरण एवं विवरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैः–

क्र0 सं0	नाम	अवधि	पद
1	श्री एम0एल0 शर्मा	5.09.05 से 8.4.07	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
2	श्रीमती ममता	9.04.07 से 18.3.08	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
3	श्री राकेश शर्मा	18.03.08 से 2.03.09	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
4	श्री मूलक सिंह	3.03.09 से 7.3.09	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
5	श्री एल0आर0 नेगी	9.03.09 से 4.07.09	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
6	श्री राकेश शर्मा	4.07.09 से 22.09.11	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
7	श्री मनोज कुमार	22.09.11 से 3.10.11	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
8	श्री एस0के0 पराशर	4.10.11 से 24.5.13	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी
9	श्री विनय कुमार	27.5.13 से लगातार	प्रशासक/आहरण एवं वितरण अधिकारी

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	**6**	**राजकीय कोष में** राशि **कम जमा करवाना**	7.04
2	8	**निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर सामान का क्रय किया जाना व क्रय किए गए स्टॉक प्रविष्टियां एवं जारी/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना**	0.22
3	9	**निर्धारित औपचारिकताओं के पूर्ण किए बगैर एंगल रैकों का क्रय करना तथा क्रय किए गए एंगल की स्टॉक प्रविष्टि व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना**	0.14

	11	**बिजली के बिल के रूप में भुगतान की** राशि **गई को वापिस ई–गवर्नेन्स खाते में न लौटाना**	1.87

(घ) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित सोसाईटी संस्था द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की यह विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा के अवधि 09/2005 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल ₹31200/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 231 दिनांक 21.11.14 द्वारा प्रशासक, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा द्वारा अवधि 5.09.05 से 31.3.09 तक की परिवहन गतिविधियों की रोकड़ बही की अलग से रखी गई है तथा अवधि 1.4.09 से 31.3.14 तक की रोकड़ बही में परिवहन गतिविधियों के अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों जैसे कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना, भूमि का पर्चा जारी करना इत्यादि हेतु प्राप्त सेवा शुल्क का लेखाकंन भी संयुक्त/इकटठी रोकड़ बही में किया गया है व सम्पूर्ण राशि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक देहरा के खाता संख्या 87860101–828678 में जमा है। अवधि 1.4.09 से 31.3.14 तक की उपरोक्त उल्लेखित सभी गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क के रूप में आय में से पूरा व्यय भी एक ही खाते से किया गया है। फलस्वरूप अवधि 1.4.09 से 31.3.14 तक की परिवहन गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप प्राप्त आय तथा उसमें से किए गए व्यय हेतु अलग से रोकड़ बही तैयार नहीं की गई है अपितु ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवा शुल्क के अन्य गतिविधियों से प्राप्त की आय व व्यय अलग–2 दर्शाकर इकटठी वितीय स्थिति तैयार की गई है जोकि **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है कि अवधि 1.4.09 से 31.3.14 तक की व इसके पश्चात परिवहन गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क व उसमें से किए गए व्यय (जैसा कि वितीय स्थिति

में दर्शाया गया है) की अलग से रोकड़ बही तैयार की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणिकाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) देहरा प्रस्तुत दिनांक 31.3.14 की बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट "ख"** पर दर्शाई गई है जिसमें निम्नलिखित अभियुक्तियाँ पाई गईः–

(i) कालातीत चैक को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज न करनाः–

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 3.1.2013 को शर्मा स्टेशनर देहरा को चैक संख्या 633251 के अन्तर्गत ₹1400/– का भुगतान किया गया दर्शाया है लेकिन दिनांक 31.3.14 तक उक्त चैक को बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया है व उक्त चैक की वैधता अवधि भी समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त भुगतान की गई दर्शाई गई राशि को अविलम्ब रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) प्राप्त राशि से ₹11885/– अधिक राशि जमा किया गया दर्शाया जानाः–

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 13.12.11 से 29.3.14 के दौरान विभिन्न तिथियों में रोकड़ बही में सेवा शुल्कों के रूप में दर्ज की गई राशि से ₹11885/– बैंक में अधिक जमा करवाई गई है जिसका विवरण निमनलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वसूली की तिथि	बैंक में जमा करवाने की तिथि		रोकड़ बही में दर्ज की गई राशि	बैंक में जमा करवाई गई राशि	अधिक जमा करवाई गई राशि
1	3.12.11	3.12.11		2895	3895	1000
2	7.3.12	7.3.12		6095	6695	600
3	21.3.12	21.3.12		2935	4435	1500
4	26.3.12	26.3.12		4395	4400	5
5	3.4.12	3.4.12		4035	6235	2200
6	12.4.12	12.4.12		4950	5000	50
7	19.4.12	19.4.12		6375	6475	100
8	14.5.12	14.5.12		4900	6300	1400
9	7.8.12	7.8.12		5595	5645	50
10	4.9.12	4.9.12		5110	5120	10
11	6.9.12	6.9.12		3860	4985	1125
12	29.9.12	29.9.12	3105			
13	1.10.12	1.10.12	3060	6165	6215	50

14	18.10.12	18.10.12	2545	2585	40
15	7.11.12	7.11.12	8370	8390	20
16	21.1.13	21.1.13	3505	3655	150
17	26.2.13	26.2.13	1915	2005	90
18	7.5.13	7.5.13	5345	5385	40
19	31.5.13	31.5.13	2910	3550	640
20	22.6.13	22.6.13	5660	5760	100
21	2.7.13	2.7.13	3590	3640	50
22	9.7.13	9.7.13	5840	6750	910
23	3.8.13	3.8.13	4070	5120	1050
24	25.9.13	25.9.13	8130	8230	100
25	2.1.14	2.1.14	4720	4725	5
26	29.3.14	29.3.14	6575	7175	600
	योग		**₹120485**	**₹132370**	**₹11885**

उपरोक्त उल्लेखित विवरणानुसार अधिक जमा करवाई गई ₹11885/– के कारण स्पष्ट करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 226 दिनांक 12.11.14 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युतर में प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा द्वारा पत्र संख्या 496 दिनांक 24.11.14 द्वारा अवगत करवाया गया कि यह अधिक जमा राशि लिपिकीय त्रुटि के कारण हुई है व इस अधिक जमा राशि का समायोजन कर लिया जायेगा। इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर विस्तृत जांच करके अधिक जमा करवाई गई राशि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त अधिक जमा राशि का समायोजन करने के उपरान्त अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(iii) प्राप्त राशि से ₹530/– कम जमा करवानाः–

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 24.2.12 से 13.1.14 के दौरान विभिन्न तिथियों को रोकड़ बही में सेवा शुल्कों के रूप में दर्ज की गई राशि में से ₹530/– बैंक में कम जमा करवाई गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैः–

क्र0सं0	वसूली की तिथि	बैंक में जमा करवाने की तिथि	रोकड़ बही में दर्ज की गई राशि	बैंक में जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई गई राशि
1	24.2.12	24.2.12	3775	3765	10
2	5.4.12	5.4.12	7585	7555	30
3	6.4.12	6.4.12	5240	5170	70
4	14.6.12	14.6.12	5100	5070	30
5	23.6.12	23.6.12	4315	4085	230
6	27.8.12	27.8.12	3435	3425	10
7	15.9.12	15.9.12	2520	2470	50
8	21.12.12	21.12.12	950	925	25
9	5.1.13	5.1.13	5355	5305	50

10	1.11.13	2.11.13	7755	7735	20
11	2.11.13				
12	13.1.14	13.1.14	7145	7140	5
		योग	**₹53175**	**₹52645**	**₹530**

अतः उपरोक्त उल्लेखित कम जमा करवाई गई राशि को अविलम्ब सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से वसूली करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iv) ₹30/– का अधिक एवं गलत भुगतानः–

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 12.12.12 को श्री राजेश कुमार कम्पयूटर ऑपरेटर को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में ₹10610/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है लेकिन बैंक खाते से ₹10640/– आहरित की गई है। फलस्वरूप ₹10640–₹10610=₹30/– का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः उक्त गलत एवं अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 रोकड़ बही व लेखों का रख रखाव नियमानुसार न रखनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनांक 3.9.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक वर्ष (Balance Sheet) तैयार करनी अनिवार्य है, परन्तु सासाईटी द्वारा न तो रोकड़ बही का रख रखाव सही ढ़ंग से किया है व न ही लैजर (Ledger) बनाए गए है। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा (Balance Sheet) भो तैयार नहीं की गई है। रोकड़ बही की जांच करने पर पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में आरम्भिक शेष में माह के दौरान प्राप्त आय, ब्याज को जोडकर उसमें से माह के दौरान किए गए व्यय घटाकर अन्तशेष का विवरण भी नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही के अन्तशेष का बैंक पास बुक के साथ मिलान भो नहीं किया गया है अर्थात बैंक समाधान विवरण भो तैयार नहीं किया है जाकि लेखांकन नियमों की अवहेलना है। रोकड़ बही व अन्य लेखों के रख रखाव में पाई गई त्रुटियों बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 226 दिनांक 12.11.14 द्वारा प्रशासक ई–गवर्नेन्स सोसाईटी के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युतर में उनके द्वारा पत्र संख्या 496 दिनांक 24.11.14 द्वारा अंकेक्षण दल द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर कार्रवाई अमल करने हेतु आश्वस्त किया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में प्रारम्भिक शेष माह के दौरान प्राप्त कुल आय व माह के दौरान प्राप्त कुल आय व माह के दौरान किए गए कुल व्यय के

विवरण देने के उपरान्त अन्तिम शेष का भी विवरण देकर तथा हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भो दिया जाए व रोकड़ बही के शेष का बैंक शेष से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही का रख रखाव विहित नियमानुसार करने के साथ–2 सम्बन्धित लैजर व बैंक समाधान विवरणी तथा Balance Sheet भो समय–2 पर तैयार की जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

5 आय व व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण न करनाः–

जांच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी मे विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय व विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों का ई–गवर्नेन्स सोसाईटी फंड के नियम 2003 के अनुसार शीर्षवार (आय व व्यय) वर्गीकरण नहीं किया गया है, जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी फंड नियम 2003 के उक्त उल्लेखित नियमानुसार आय व व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण किया जाना अनिवार्य था। अतः नियमों के अनुरूप वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अपेक्षित आय व व्यय का शीर्षवार वर्गीकरण सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामो अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 राजकीय कोष में ₹704154.55 कम जमा करवानाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी दिनांक 3.9.05 के पैरा संख्या 3 (बी) के अनुसार परिवहन गतिविधियों से सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त आय/वसूलियों का 25 प्रतिशत भाग राजकीय कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। सोसाईटी अंकेक्षण अवधि 5.09.05 से 31.3.14 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹5383043/– प्राप्त हुई है जिसका 25 प्रतिशत भाग अर्थात ₹1345761/– राजकीय कोष में जमा करवाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण अवधि 5.09.05 से 31.3.14 के दौरान ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा द्वारा विभिन्न चालानों के माध्यम से कुल ₹641606 ही राजकीय कोष में जमा करवाई गई थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	चालान संख्या व दिनांक	राशि
1	2, दिनांक 6.9.13	184250
2	3, दिनांक 6.9.13	116920
3	4, दिनांक 6.9.13	340436
	योग	**₹641606**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार राजकीय कोष में ₹1345761–₹641606=₹704155/– कम जमा करवाई गई है। उक्त कम जमा करवाई गई ₹704155/– को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227 दिनांक 12.11.14 द्वारा प्रशासक, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी देहरा से अनुरोध किया गया जिस पर कार्रवई करते हुए ₹704155/– चालान संख्या 10 दिनांक 21.11.14 को राजकीय कोष में जमा

करवा दी है व ₹704155/– जमा करवाने की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य परिवहन गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा समय–2 पर राजकीय कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7 प्रपत्रों की स्टॉक प्रविष्टि व बिक्री से प्राप्त आय का लेखा–जोखा तैयार न करनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रपत्र छपवाने हेतु मैसर्ज कुनाल प्रिटिंग एंड पब्लिशिंग कम्पनी को उनके बिल संख्या 000207 दिनांक 30.03.08 द्वारा ₹7254/–का भुगतान किया गया दर्शाया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्र0सं0	प्रपत्रों का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र	5000	1120	5600
2	प्रपत्र–4 (2 पृष्ठ)	1000	295	295
3	प्रपत्र–2 (3 पृष्ठ)	1000	540	540
4	प्रपत्र–20 (3 पृष्ठ)	1000	540	540
				6975
			वैट **4%**	279
			योग	**₹7254**

उपरोक्त उल्लेखित बिल/वाउचर की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त उल्लेखित छपवाए गए प्रपत्रों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां व खपत से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(ख) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए प्रपत्रों की बिक्रो से कितनी आय प्राप्त हुई है, उसमें सम्बन्धित सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उपरोक्त उल्लेखित प्रपत्रों की बिक्रो से प्राप्त आय से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किया जाएं।

8 निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर ₹21840 के सामान का क्रय किया जाना व क्रय किए गए स्टॉक प्रविष्टियां एवं जारी/खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार कम्प्यूटर से सम्बन्धित स्थाई व अस्थाई सामान क्रय किया गया दर्शाया है।

क्र0सं0	बिल संख्या/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	98/27.3.07	हिमकॉन सिस्टम	कारटरेज	2	910	1820

		प्राईवेट, लिमिटेड, हमीरपुर	एच0पी0सी0 8765ZZ852 नम्बर			
			कारटरेज एच0पी0सी0 8766ZZ855 नम्बर	2	1090	2180
			टोनर एच0पी0क्यू0 2612 ए–12 ए	2	3090	6180
						10180
				वैट 2 %		**203.60**
					योग	**10383.60**
					भुगतान	**10384**
2	114 / 26.11.11	मैसर्ज जयन्ती इन्टरप्राईजिज सपडी, देहरा	कारटरेज एच0पी0 920 ब्लैक ऑफिस इंकजैट (1200 पेज वाली)	1	1499	1499
			कारटरेज एच0पी0 920 ब्लैक स्यान (700 पेज वाली)	1	799	799
			कारटरेज एच0पी0 920 मजैन्टा (700 पेज वाली)	1	799	799
			कारटरेज एच0पी0 920 पीला (700 पेज वाली)	1	799	799
					योग	**3896**
3	102 / 4.10.11	मैसर्ज जयन्ती इन्टरप्राईजिज सपडी, देहरा	एच0पी0 ऑफिस जैट 6000 इंकजैट प्रिन्टर	1	5700	5700
					वैट 5 प्रतिशत	285

					योग	**5985**
4		मैसर्ज जयन्ती इन्टरप्राईजिज सपडी, देहरा	जे0के0 ईजी ग्रीन कॉपियर पेपर	10	150	1500
					वैट 5%	**75**
					योग	**1575**
		क्रम संख्या 1 से 4 तक का कुल योग				**₹21840**

उपरोक्त उल्लेखित बिलों/वाउचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(क) क्रम संख्या 1 तथा 3 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है अर्थात निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई है। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उपरोक्त उल्लेखित सामान का क्रय निम्न दरों पर किया गया है अथवा नहीं? अतः उक्त सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 पर उल्लेखित क्रय किए गए सामान की स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वांछित स्टॉक प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

9 निर्धारित औपचारिकताओं के पूर्ण किए बगैर ₹14197/– के एंगल रैकों का क्रय करना तथा क्रय किए गए एंगल की स्टॉक प्रविष्टि व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा माह 9/2010 में मैसर्ज डोगरा इन्जीनियरिंग वर्कस देहरा से निम्नलिखित विवरणानुसार एंगल रैंक का क्रय करने पर उनको ₹14197/– का भुगतान किया गया दर्शाया है।

क्र0सं0	**बिल संख्या/दिनांक**	**सामान का विवरण**	**वजन**	**दर**	**मूल्य**
1	शून्य/4.9.10	एंगल रैंक	159 कि0ग्रा0	45	7155
2	शून्य/7.9.10	एंगल रैंक	156.5 कि0ग्रा0	45	7042

योग ₹14197

उपरोक्त उल्लेखित बिलों/वाउचरों की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका निराकरण किया जाए।

(क) उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए एंगल रैको को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई है अर्थात निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई है। निविदाओं के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उक्त एंगल रैकों का क्रय निम्न दरो पर किया गया है अथवा नहीं? अतः उपराक्त उल्लेखित सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त अनियमितता को नियमित करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 2 पर उल्लेखित क्रय किए गए एंगल रैकों की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख मौजूद नहीं है। अतः वांछित अभिलेख तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण म प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

10 भुगतान की गई ₹33450/– से बिल/वाउचर प्रस्तुत न करनाः–

व्यय की जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनांक 27.3.10 को निम्नलिखित विवरणानुसार ₹33450/– का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्र0सं0	चैक सं0/दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	राशि
1	089629/27.3.10	कम्पयूटैक सिस्टम 8 बी एच0आर0टी0सी0 काम्पलैक्स पालमपुर	6600
2	089630/27.3.10	मैसर्ज शिवान्श कम्पयूटर्स औपोजिक एस0बी0आई0 देहरा	1450
3	089631/27.3.10	कम्पयूटैक सिस्टम 8 बी एच0आर0टी0सी0 काम्पलैक्स पालमपुर	5400
4	089632/27.3.10	कम्पयूटैक सिस्टम 8 बी एच0आर0टी0सी0 काम्पलैक्स पालमपुर	20000
		योग	**₹33450**

उपरोक्त उल्लेखित भुगतानों से सम्बन्धित बिल/वाउचर अंकेक्षण मे सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए व न ही क्रय किए गए सामान का विवरण रोकड़ बही में उल्लेखित है। इस प्रकार बिलों/वाउचरों के अभाव में तथा रोकड़ बही के व्यय पक्ष में सामान का विवरण उल्लेखित न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपरोक्त उल्लेखित फमों से क्या सामान क्रय किया गया है तथा इस सन्दर्भ में किए गए भुगतान की पुष्टि भी

नहीं की जा सकी। अतः वांछित बिल/वाउचर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

11 बिजली के बिल के रूप में भुगतान की गई ₹186877/– को वापिस ई–गवर्नेन्स खाते में न लौटानाः–

चयनित माह 2/12 की जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा चैक संख्या 564977 के अन्तर्गत ₹186877/– का भुगतान कार्यालय बिजली बिल के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को गया गया है, जोकि उपमण्डल (नागरिक) देहरा के अनुमोदन के उपरान्त किया गया। अनुमोदन टिप्पणी में स्पष्ट लिखा है कि कार्यालय शीर्ष 2053 में नियमित बजट प्राप्त होने पर उक्त राशि ई–गवर्नेन्स खाते को वापिस कर दी जायेगी परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त राशि ई–गवर्नेन्स खाते को वापिस नहीं की गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त बिजली के बिल की ₹186877/– व इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 9/05 से 3/14 तक के दौरान किए गए अन्य बिजली के बिलों तथा इस प्रकार अन्य बिलों के रूप में भुगतान की गई राशि की गणना करने क उपरान्त तथा सम्पूर्ण राशि की स्वीकृत बजट से प्रतिपूर्ति करने के उपरान्त, ई–गवर्नेन्स खाते में जमा करवाई जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में अपरिहार्य स्थिति में ऋण के रूप में ली गई सम्पूर्ण राशियों को यथासमय ई–गवर्नन्स खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवानाः–

जांच के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भैतिक सत्यापन नहीं किया है, जबकि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी फंड नियत 2003 के नियम 9.3 के अनुसार प्रशासक द्वारा प्रतिवर्ष स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करना अनिवार्य था। अतः स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करन का औचित्य स्पष्ट किया जाए व प्रत्येक वितीय वर्ष क अन्त में स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई कांगड़ा स्थित धर्मशाला से समय–2 पर ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) देहरा को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) देहरा से केन्द्रीय ईकाई कांगड़ा स्थित धर्मशाला को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई

राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई कांगड़ा स्थित धर्मशाला से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणीः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 निष्कर्षः— लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)30/2014 खण्ड—1—2339—2343 दिनांक 15.05.2015, शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृतः—1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (आर0एल0ए0) देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश कांगड़ा जिला कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0प्र0)
3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला—03
4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला—02
5 श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.